न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रकरण संख्या 24/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हलका भाखरपुरा		श्री रतन पुत्र मोहन कौम रा. राजपुत सा. मघा की ढाणी तहसील गुडामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 28.08.17

उपस्थित :– 1. पटवारी हलका भाखरपुरा

2. अप्रार्थी अनुपस्थित

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार हैं । पटवारी हलका भाखरपुरा ने न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी ने सरहद मौजा मघा की ढाणी सरकारी भूमि ख.नं. 749/491 कुल रकबा 12.14 किस्म बा. दो. में से 11.05 बीघा भूमि पर बाड व मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया हैं, अतः इन्हें बेदखल किया जावे । अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर आया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया । सर्कल परिवर्तन होने से पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी से स्थान्तरित होकर इस न्यायालय के प्राप्त हुई हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

नियत तारीख पेषी दिनांक 28.08.17 को प्रार्थी पटवारी हलका उपस्थित तथा अप्रार्थी नोटिस तामिली के बाबजूद अनुपस्थित, अतः एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं ।

प्रार्थी पटवारी हलका ने अप्रार्थी को बेदखल करने, निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का निवेदन किया तथा दंडित करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा अवलोकन किया । उक्त भूमि पर अप्रार्थी के अतिक्रमण की पुष्टि होती हैं अतः अप्रार्थी को उक्त भू[illegible] किया जाता हैं तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रदत्त [illegible] का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं । [illegible] इत्यादि निर्माण कार्य को ध्वस्त करने यानि गिराने के आदेश दिये जाते हैं । यदि मौके पर [illegible] खडी हो तो नष्ट कर [illegible]वे। लगान 15.41 रूपये का बीस गुणा 308 अक्षरे रूपये तीन सौ आठ [illegible]स्ति [illegible]ना आरोपित की जाती [illegible] जो वसूल हो । जुर्माना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:58:47 IST
Reason: SelfAttested

मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तथा जुर्माना वसूली तथा बेदखली हेतु पटवारी हलका सूचित हो ।

निर्णय दिनाक 28.08.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया , पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तामिल दफतर दाखिल हो ।

(जोधसिंह)

तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:58:47 IST
Reason: SelfAttested